

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम  
मुख्य प्रबन्धक, सीकर आगार-332001

क्रमांक:-एफ0/वित्त./खजा.भु./मु.प्र./सी.आ/26/1002

दिनांक:- 17/3/26

-: निविदा विज्ञप्ति :-

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम सीकर आगार के अधीनस्थ निगम बुकिंग घरों पर टिकिट बिक्री कार्य हेतु बुकिंग एजेन्ट के माध्यम से लिये जाने के आधार पर दिये जाने के लिए निविदा आमत्रित की जाती है जिस हेतु प्रस्ताव आमत्रित किये जाते हैं।

| क्रम सं. | बस स्टैण्ड / बुकिंग         | समय      | अधिकतम कमीशन दर | औसत मासिक लक्ष्य | घरोहर राशि |
|----------|-----------------------------|----------|-----------------|------------------|------------|
| 1.       | लक्ष्मणगढ<br>(सामान्य पारी) | आठ घण्टे | 3.50%           | 3,00,000         | 20,000     |
| 2.       | सालासर (सामान्य पारी)       | आठ घण्टे | 3.50%           | 3,00,000         | 20,000     |
| 3.       | सुजानगढ (सामान्य पारी)      | आठ घण्टे | 3.50%           | 3,00,000         | 20,000     |
| 4.       | पलसाना (सामान्य पारी)       | आठ घण्टे | 3.50%           | 3,00,000         | 20,000     |
| 5.       | दांतरामगढ(सामान्य पारी)     | आठ घण्टे | 3.50%           | 3,00,000         | 20,000     |
| 6.       | पिपराली चौराहा              | आठ घण्टे | 3.50%           | 3,00,000         | 20,000     |

आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी। शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। बुकिंग हेतु इच्छुक व्यक्ति/संस्था निविदा प्रपत्र एवं शर्त निर्धारित राशि 236/-रु(अक्षरे रुपये दो सौ छत्तीस मात्र) नकद जमा करवाकर निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्यालय से दिनांक:-08.04.2026 दोपहर 13.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र के साथ प्रति निविदा हेतु निर्धारित घरोहर राशि 20,000/-रुपये (अक्षरे रुपये बीस हजार) नकद अथवा डी.डी.मुख्य प्रबन्धक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम सीकर के नाम हो, के रुप में जमा करानी होगी। निर्धारित घरोहर राशि जमा करवाये बिना प्रस्ताव मान्य नहीं होंगे। इच्छुक व्यक्ति /संस्थान, अपने प्रस्ताव दिनांक:-08.04.2026 को मध्याह्न पश्चात 14.00 बजे तक निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष सील बन्द लिफाफे में प्रस्तुत कर सकते हैं जो उसी दिवस को समय 15.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोले जायेंगे।

बुकिंग एजेन्सी प्रारम्भ में 01 वर्ष के लिए दी जावेगी तथा कार्य सन्तोषजनक होने पर 01 वर्ष के लिए आगे वृद्धिकृत की जा सकेगी कमीशन की दर अधिकतम 3.50% रहेगी। एक स्थान के लिए एक से अधिक आवेदन आने पर न्यूनतम दर के आधार पर एजेन्सी आवण्टित की जा सकेगी जिसका निर्णय आगारीय समिति द्वारा किया जायेगा। अधिक जानकारी के लिए निगम की वेबसाईट [transport.rajasthan.gov.in/rsrtc](http://transport.rajasthan.gov.in/rsrtc) पर तथा आगार कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।

NIB RTC2526A0806

UBN RTC 2526SS0B00957

मुख्य प्रबन्धक, सीकर आगार।